


## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान- बीकानेर

### आदेश

यह है कि श्री घनश्याम दत्त सैनी, व्याख्याता (इतिहास) राउमावि बसई जोगियान, पं0स0 थानागाजी जिला अलवर को इनके विरुद्ध एक विभागीय जॉच विचाराधीन होने के कारण राजस्थान असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में, इनका मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर रहेगा एवं इन्हें निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

  
(नथमल डिडेल)  
आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/वि0 जॉच/11145/जी-92/17

दिनांक:- 03.11.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) अलवर को उनके पत्रांक जिनिअ/2017/3255 दिनांक 25.10.17 के क्रम में।
2. संयुक्त निदेशक, (कार्मिक) संस्थापन सी अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. उपनिदेशक (मा) जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मा) द्वितीय अलवर को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त निलम्बन आदेश श्री घनश्याम दत्त सैनी, व्याख्याता (इतिहास) राउमावि बसई जोगियान, पं0स0 थानागाजी जिला अलवर को सर्व करवाकर प्रमाणित पावती तत्काल प्रेषित करें।
5. अनुभाग अधिकारी, रोकड़ अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. प्रधानाचार्य राउमावि बसई जोगियान, पं0स0 थानागाजी जिला अलवर।
7. श्री घनश्याम दत्त सैनी, (निल) व्याख्याता (इतिहास) -द्वारा जिशिअ (मा0शि0) द्वितीय, अलवर।
8. रक्षित पत्रावली।

  
/ अतिरिक्त निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर